न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

दावा संख्या 68/22 दायरा दिनांक 05.12.2022

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

बद्रीलाल पुत्र बल्ला जाति सहरिया निवासी खुशालपुरा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान वादी

बनाम

1–अधीशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग शाहावाद जिला बारां राजस्थान

2–स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

प्रतिवादीगण

वादपत्र वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक– 17.07.2025

उपस्थित –

वादी की ओर से – श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से – एकपक्षीय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम खुशालपुरा तहसील शाहावाद में खाता संख्या नया 197 पुराना 195 के ख0नं0 112 की 16.10 बीघा, ख0नं0 114 की 1.19 बीघा किता 2 कुल रकबा 18.09 बीघा कृषि भूमि वादी के खातदारी में दर्ज है। जिस पर वादी वहैसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी के अलावा अन्य किसी का कोई हकाधिकार नहीं है। प्रतिवादीक्रम 1 बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना भूमि को अवाप्त किये खडी फसल सरसों को नष्ट करते हुये खुशालपुरा से बिरमानी मेढो से होकर जाने बाले पगडण्डी रास्ते को पक्की सडक बनाना प्रारंभ कर दिया है। वार्दी सहरिया अनुसूचित जनजाति का गरीब व्यक्ति है और विवादित भूमि उसकी जीविकोपार्जन का मात्र साधन है। दिनांक 29.11.2022 को वादी ने प्रतिवादी से उक्त अवैध कृत्य के लिये मना किया तो प्रतिवादी ने वादी को राजकार्य के झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी दी। प्रतिवादीक्रम 1 को वादी की विवादित भूमि में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये मनमाने तौर पर भूमि अवाप्त किये बिना सडक निर्माण का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीक्रम 1 का उक्त कृत्य अवैध तथा विधि विरूद्ध है। प्रतिवादीक्रम 1 ने फसल नष्ट करते हुये रोड बनाना प्रारंभ कर दिया है, इस कारण माननीय न्यायालय की अनुज्ञा से वाद पेश है। अतः प्रतिवादीक्रम 1 को स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द [illegible] विधिक प्रक्रिया अपनाये वादी के खाते की भूमि ख0नं0 112 की 16.10 [illegible] 114 की 1.19 बीघा किता 2 कुल रकबा 18.09 बीघा के किसी भी भाग पर रा[illegible] सडक निर्माण नहीं करें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्र[illegible]क्रम 1 स्वयं उपस्थित हुआ, परन्तु कोई जबाव पेश नहीं किया और दिन[illegible].06.24 को प्रतिवदीक्रम 1 के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विवादित आराजी ख0नं0 112 रकबा 16.10 बीघा, ख0नं0 114 रकबा 1.19 बीघा किता 2 कुल रकबा 18.09 बीघा ग्राम खुशालपुरा तहसील शाहावाद वादी के खाते की होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.18 13:01:06 IST
Reason: SelfAttested

17.07.2025
उपखण्ड अधिकारी

संलग्न जमाबंदी संवत 2073–76 से साबित है तथा संलग्न नकल खसरा गिरदावरी से वादी का कब्जा काश्त होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है, जिसमें अतिचार करने का प्रतिवादीकम 1 को कोई विधिक हक अथवा अधिकार नहीं है।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीकम 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के खाते की आराजी ख0नं0 112 रकबा 16.10 बीघा, ख0नं0 114 रकबा 1.19 बीघा किता 2 कुल रकबा 18.09 बीघा ग्राम खुशालपुरा के किसी भी भाग पर बिना विधिक प्रकिया अपनाये कोई सडक निर्माण नहीं करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 17.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। तदानुसार डिकी जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

17/07/2025

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.18 13:01:06 IST
Reason: SelfAttested